न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

अपील(सू.का.अ)संख्या 65/2025 बउनवानी नादान सिंह गुर्जर बनाम तहसीलदार मित्रपुरा
निवासी ग्राम गोतोड तहसील मित्रपुरा

Appeal Number-321582398049387

GCMS No-2025/ 169

तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल जज	[illegible]
29.7.2025	पत्रावली पेश हुयी। अपीलान्ट नियत दिनांक को उपस्थित नही हुआ। अपीलान्ट द्वारा सूचना चाहने बाबत ऑन लाईन पोर्टल के माध्यम से दिनांक 28.3.2025 को लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को अधिनियम की धारा 6(1) के तहत प्रार्थना पत्र प्रेषित कर <u>*"आवेदन कमांक एनएफएसए 00429406 को एनएसएस जुडने की सूचना।"*</u> तहसीलदार मित्रपुरा से दिलाये जाने बाबत निवेदन किया था किन्तु संबंधित लोक सूचना अधिकारी द्वारा निर्धारित समयावधि में उसे चाही गयी सूचना उपलब्ध नही करवायी गयी है, जिसके कारण अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 की धारा 19(1)के तहत ऑन लाईन पोर्टल पर प्रथम अपील इस न्यायालय मे प्रेषित की गयी जो दर्ज रजिस्टर की जाकर सम्बन्धित लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा को तत्काल सूचना उपलब्ध कराने हेतु पोर्टल के माध्यम से ही आदेशित किया गया। लोक सूचना अधिकारी एवं तहसीलदार मित्रपुरा के पत्रांक/राजस्व/2025/733–34 दिनांक 28.7.2025 से अवगत करवाया कि अपीलान्ट के प्रार्थना पत्र दिनांक 28.3.2025 मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली से होने के कारण प्रार्थी का प्रार्थना पत्र जरिये पत्रांक राजस्व/25/732 दिनांक 28.7.2025 से विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली को आवश्यक कार्यवाही हेतु भिजवाया जा चुका है। पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का गहनता से अवलोकन व मनन करने के उपरान्त हम इस निष्कर्ष पर पहुॅचते है,कि अपीलान्ट द्वारा सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 के तहत दिनांक 28.3.2025 को प्रेषित प्रार्थना पत्र मे चाही गयी सूचना का संबंध विकास अधिकारी पंचायत समिति बौली से होने के कारण अपीलान्ट का प्रार्थना पत्र अधिनियम की धारा 6(3) के तहत तत्समय संबंधित लोक सूचना अधिकारी विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को अन्तरित किया जाना चाहिए था किन्तु लोक सूचना अधिकारी द्वारा जरिये पत्रांक 732 दिनांक 28.7.2025 से लगभग चार माह बाद प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली को आवश्यक अग्रिम कार्यवाही हेतु भिजवाया गया है जो लोक सूचना अधिकारी की सूचना का अधिकार अधिनियम,2005 क प्रति उद्यासीनत को दर्शाता है। अतः लोक सूचना अधिकारी को निर्देशित किया जाता है कि भविष्य मे उक्त अधिनियम के तहत प्राप्त होने प्रार्थना पत्रों पर व्यक्तिगत ध्यान देकर नियत समयावधि में निस्तारण किया जाना सुनिश्चित करे। अपीलान्ट वांछित सूचना विकास अधिकारी पंचायत समिति बौंली के कार्यालय से नियमानुसार प्राप्त करे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी। Signature Not Verified Digitally signed by Kana Ram Date: 2025.10.21 15:33:54 IST Reason: SelfAttested (काना राम) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर	

Scanned with OKEN Scanner